कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–2892/अमरोहा/25152/2017, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 11, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : अमरोहा–कॉठ मार्ग (MDR-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दायीं पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–2606/14–1, दिनांक 19.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 07.03.2018 द्वारा अपेक्षित सूचनाओं का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया हैं। उक्त के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि आप द्वारा प्रेषित सूचनायें भारत सरकार की पृच्छा के अनुरूप नहीं हैं। फलस्वरूप सूचनायें उच्च स्तर को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है।

भारत सरकार की पृच्छाओं का पुनः अध्ययन कर निर्धारित प्रारूप में वांछित बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण कर सूचनाओं को ऑनलाइन अपलोड कर सूचना व अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

11/4

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2892/ ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार त्रुटिरहित संशोधित प्रस्ताव अपने वन संरक्षक को 02 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–18, सी एण्ड डी एस उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/4

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

Q